बिहार सरकार

समाहरणालय, जहानाबाद

ई-मेल-assistant.director.jbd@gmail.com

दूरभाष -06114-223010

ज्ञापांक-XVIII-03/2020/144 /जि0सा0सु0को0 जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दिनांक 20 अप्रैल 2020 ई0.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला-जहानाबाद।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर।

विषय:- **कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशा-निर्देश के संबंध में।**

प्रसंग :- राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 748/आ0नि0को0 दिनांक 07.04.2020 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नोबेल कोराना वायरस(COVID-19) के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये गये लॉक-डाउन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा सहायता पैकेज में कुछ बिन्दु दिव्यांगजनों को सीधे प्रभावित करते है तथा विविध कारणवश विषम परिस्थितियों के प्रति उनके अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होने के कारण दिव्यांगजनों के लिए विशेष कल्याणकारी है। दिनांक 07.04.2020 को राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना द्वारा भी वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उक्त घोषणा के आलोक में जिले के दिव्यांगजनों को योजनाओं के नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अच्छादित करने हेतु निदेश दिये गये है।

लॉक-डाउन के दौरान विगत कुछ दिनों से जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर समुदायिक रसोई का संचालन के साथ-साथ सुखा राशन का भी वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोस्टर के अनुसार जिले के विभिन्न स्थलों पर चलंत चिकित्सालय की सुविधा भी आमजनों को दी जा रही है। समय-समय पर सरकार के निदेशानुसार विभिन्न विभागों से अन्य सुविधाएँ भी आमजनों को प्रदान की जा रही है। नोबेल कोराना वायरस(COVID-19) के रोक-थाम एवं सुरक्षा से संबधित जानकारी आमजनों तक पहुँचाने के उद्देश्य से जिला सूचना जन-सम्पर्क, जहानाबाद, नेहरू युवा केन्द्र, जहानाबाद एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसाईटी, जहानाबाद द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

विदित हो कि पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर दिव्यांगजनों का स्वंय समुह पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक 556/जि0सा0सु0को0 दिनांक 09.11.2019 के आलोक में गठन करने हेतु निदेशित किया गया था , जिसके आलोक में आपके विभिन्न पत्रांकों द्वारा **दिव्यांगजनों का स्वंय समुह का गठन** भी किया जा चुका है। **इस राष्ट्रीय आपदा के समय गठन किये गये दिव्यांगजनों का स्वंय समुह के माध्यम से उपरोक्त दी जाने वाली सुविधाएँ एवं सरकार के विभन्न विभागों द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से योजनाओं के नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर दिव्यागंजनों को विशेषकर लाभान्वित किया जाना अपेक्षित है।**

अत: निदेश दिया जाता है कि **इस राष्ट्रीय आपदा के समय** उपरोक्त बिन्दुओं/घोषणाओं के आलोक में **लॉक-डाउन के दौरान** की गई आवश्यक कार्रवाई अथवा अन्य किस प्रकार की दी गई सुविधाओं से संबंधित प्रतिवेदन एवं अच्छादित लाभार्थियों से संबंधित प्रतिवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/4/2020

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

20/4/2020

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
जहानाबाद।

विकसित बिहार के सात निश्चय

क्र०पृ०उ०

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक–XVIII-03/2020/...144...../जि0सा0सु0को0, जहानाबाद दिनांक...20....अप्रैल 2020 ई0.

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई-सह-बुनियाद केन्द्र, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रषित। निदेश दिया जाता है कि आपके कार्यालय से इस राष्ट्रीय आपदा के समय दिव्यांगजनों को अबतक दिय गये सुविधाओं से संबंधित प्रतिवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

20/4/2020

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
जहानाबाद।

20/4/2020

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

Scanned with CamScanner